उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का इतिहास

राज्य में विधायी संस्थाओं का विकास भारत में विधान मण्डल के इतिहास से सीधा जुड़ा हुआ है। वर्ष 1861 तक समस्त विधान कार्य ब्रिटेन की संसद के हाथों में था।

इस राज्य में सर्वप्रथम 5 जनवरी, 1887 को लेजिस्लेटिव कौंसिल की स्थापना हुई, जिसका नाम 'नार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज एण्ड अवध लेजिस्लेटिव कौंसिल' था। कौंसिल की पहली बैठक 8 जनवरी, 1887 का इलाहाबाद के थार्नहिल मेमोरियल हाल में हुई थी। इस प्रथम बैठक के समय विधान परिषद् की सदस्य संख्या–9 थी, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष था। 3 नवम्बर, 1892 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत में विधान परिषदों के सुधान के लिये बनाया गया ''इण्डियन कौंसिल एक्ट'' 1892 प्रभावी होने के पश्चात् स्थापित विधान परिषदों में सर्वप्रथम कुछ संस्थाओं द्वारा निर्वाचन के पश्चात् संस्तुत सदस्यों के नाम निर्देशन के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया। इसमें उत्तर पश्चिमी प्रान्त व अवध की विधान परिषद् के लिये 15 सदस्यों का प्रविधान था, जिसमें से 7 राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित होते थे तथा 8 ऐसे सदस्य थे जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। 1902 के पश्चात् आगरा व अवध को संयुक्त प्रान्त कहे जाने वाले इस राज्य में इण्डियन कौंसिल एक्ट 1909 के प्राविधाओं के वहत विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 46 हो गयी। जिनमें 20 सरकारी तथा 26 गैरसरकारी सदस्य थे। इन 26 गैरसरकारी सदस्यों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ी नगर पालिकाओं, विभिन्न जिला परिषद्ों, जमीदारों, मुस्लिम समुदाय तथा अपन इण्डिया चेम्बर आफॅ कामर्स द्वारा निर्वाचित किये जाते थे।

संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के विकास में एक महत्वपूर्ण युग गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919 के द्वारा आया, जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1915 का संशोधित रूप था। इसके अन्तर्गत विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़कर 123 हो गयी। जिनमें 100 निर्वाचित एवं 23 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। निर्वाचित सदस्यों में 60 गैर मुस्लिमों द्वारा, 29 मुस्लिमों द्वारा, 1 यूरोपियनों द्वारा, 6 जमीदारों द्वारा, 3 व्यापारिक संगठनों द्वारा व 1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित किये जाते थें। इस प्रकार लगभग 50 प्रतिशत सदस्य विभिन्न प्रकार के निर्वाचन मण्डलों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। पहली परिषद् में राज्यपाल द्वारा 17 के स्थान पर केवल 15 सदस्य ही नाम निर्देशित किये जाने के कारण 121 सदस्य ही थे। गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट 1935 के अनुसार सभी प्रदेशों और तत्कालीन राजाओं की रियासतों को मिलाकर भारत में गणतंत्र की स्थापना ओर प्रदेशों को

स्वायत्तता दिये जाने का प्रस्ताव था। राज्यों को दी गयी स्वायत्तता, प्रदेश स्तर पर संसदीय प्रणाली की सरकारें स्थापित करने की दिशा में पहला कदम थी। गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा–61:3 में यह व्यवस्था की गयी थी के प्रत्येक विधान परिषद् एक स्थायी इकाई होगी जो कि भंग नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक तीसरे वर्ष इसके एक तिहाई सदस्य पॉचवी अनुसूची के प्राविधानों के तहत सदस्यता से निवृत्त होते जायेंगे। इस सदन की सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गयी, जिनमें सामान्य निर्वाचकों द्वारा 34, मुस्लिम निर्वाचकों द्वारा 17 एवं यूरोपियन निर्वाचकों द्वारा 1 सदस्य निर्वाचित होते थे तथा 8 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे।

लेजिस्लेटिव कौंसिल मार्च, 1937 तक एकल सदनीय विधान मण्डल के रुप में प्रदेश में कार्यरत थी। गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 में राज्यों से सम्बन्धित भाग 1 अप्रैल, 1937 को प्रभावी होने के उपरान्त अंग्रेजों के शासन काल में ही देश के 5 और राज्यों सहित इस राज्य का विधान मण्डल भी एकल सदनीय से द्विसदनीय हो गया। 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' और 'लेजिस्लेटिव कौंसिल' नाम से दो सदन स्थापित हो गये। निचले सदन, लेजिस्लेटिव असेम्बली का गठन पूर्णतः निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा ऊपरी सदन, लेजिस्लेटिव कौंसिल का गठन पूर्णतः निर्वाचित और नामनिर्देशित दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी। इस बीच राज्य का नाम बदल कर 'युनाइटेड प्रोविंसेज' कर दिया गया।

स्वाधीनता से पूर्व गठित यू0पी0 की पहली लेजिस्लेटिव असेम्बली का कार्यकाल अत्यन्त संक्षिप्त रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने पर 3 सितम्बर, 1939 को गर्वनर जनरल ने केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक विधान मण्डलों में जन प्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिये जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत देशों में भारत का नाम भी घोषित कर दिया। इस ब्रिटिश नीति से सहमत न होने के कारण पंत मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमण्डल गठित करके सदन में बहुमत जुटा पाना अन्य किसी के वश की बात नहीं थी इसीलिये अन्त में गवर्नर ने असेम्बली निलम्बित कर दी।

युद्ध के बाद, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आयी और उसने भारतीय समस्याओं पर नये सिरे से विचार करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक नेताओं से राय लेकर देश में सामान्य निर्वाचन कराने का फैसला किया जो फरवरी और मार्च, 1946 में सम्पन्न हुए।

विधान मण्डल का निलम्बन गर्वनर के आदेश से 1 अप्रैल, 1946 का समाप्त हो गया। गर्वनर ने पं0 गोविन्द बल्लभ पंत को मंत्रिमण्डल गठित करने के लिए आमंत्रित किया। पंत जी ने आमन्त्रण स्वीकार किया, परिणामस्वरुप उनके नेतृत्व में मंत्रिमण्डल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया।

नव निर्वाचित सदस्यों की इस असेम्बली बैठक 25 अप्रैल, 1946 को हुई थी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास 27 अप्रैल, 1946 को पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री नफीसुल हसन को 15 अगस्त, 1946 को उपाध्यक्ष चुना गया। इस असेम्बली ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया और सरकार को इसके लिये समुचित योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

इस बीच ब्रिटिश सरकार ने सम्पूर्ण स्वाधीनता के लिए भारत की मांग मान ली। केन्द्र में संविधान सभा गठित हुई और उसी के साथ अंतरिम सरकार बन गयी जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंप देने का मन बना लिया। गर्वनर जनरल ने भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं से परामर्श किया और उस पर ब्रिटिश सरकार की सहमति लेकर सत्तांतरण के लिये अपनी योजना घोषित कर दी। इसी योजना के तहत ब्रिटेन की संसद ने जुलाई में इण्डियन इंडिपेन्डेंस ऐक्ट बनाया और 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वाधीन हो गया।

विधान सभा ने 25 फरवरी, 1948 को इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय और अवध चीफ कोर्ट का विलय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1949 में ऐतिहासिक महत्व के दो संसदीय कार्य हुए—जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक, 1949 और यू0पी0 एग्रीकल्चरल टेनेन्टस (एक्वीजीशन ऑफ प्रिविलेजेज) बिल, 1949 जो क्रमशः वर्ष 1951 और दिसम्बर, 1949 में अधिनियम बन गये।

गणराज्य बनने के बाद विधान मण्डल

संविधान सभा का गठन 9 दिसम्बर, 1946 को हुआ था जिसे स्वाधीन भारत का संविधान बनाने में लगभग 3 वर्ष लग गये। 26 जनवरी, 1950 को संविधान के प्रभावी होते ही भारत, एक सम्प्रुभता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। ब्रिटेन के राष्ट्र कुल देशों से उसने अपना सम्बन्ध यथावत् बनाये रखा।

उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक विधान मण्डल का प्रथम सत्र नये संविधान के अंतर्गत 2 फरवरी, 1950 को आरम्भ हुआ। मा0 पुरूषोत्तम दास दण्डन को अध्यक्ष पद की शपथ दिलायी गयी। देवनागरी लिपि और हिन्दी को विधान सभा की अधिकृत भाषा के रूप में मान्यता मिली। 1950 में लागू संविधान के अन्तर्गत विधान परिषद् का गठन गुण, व्यवसाय व राजनैतिक प्रतिधित्व के आधार पर किया जाने लगा तब विधान परिषद् की सदस्य संख्या 60 से बढ़ाकर 72 कर दी गयी, क्योंकि संविधान क अनुसार विधान परिषद् की सदस्य संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या की एक चौथाई से

अधिक नहीं की जा सकती थी। यद्यपि यह संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या 431 की एक चौथाई से काफी कम थी।

संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा यह प्राविधानित किया गया कि विधान परिषद् की सदस्य संख्या विधान सभा के एक चौथाई के बजाय एक तिहाई हो सकती है। इस संशोधन के अनुसार 1958 में विधान परिषद् की सदस्य संख्या 72 से बढ़ाकर 108 कर दी गयी। तब से विधान परिषद् की सदस्य संख्या 108 ही रही, परन्तु 8 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने तथा विधान परिषद् के 8 सदस्यों के उत्तरांचल विधान सभा में चले जाने के कारण यहॉ की सदस्य संख्या 108 से घटकर 100 हो गयी है, जिसमें वर्तमान में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से 36 शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 8–8 तथा 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद विधान सभा के प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में प्रदेश के राज्यपाल दोनों सदनों के समवेत सदस्यों को संबोधित करते हैं तथा सदस्यों को सत्रावहन के कारणों से अवगत कराते हैं। राज्यपाल समय–समय पर दोनों सदनों को अधिवेशन के लिये आहूत करते है।

सदन के सदस्य आपस में ही विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति का निर्वाचन करते हैं। जब तक उनकी सदस्यता समाप्त न हो जाये या उन्हें विधान परिषद् के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पद से हटा न दिया जायेगा या वे स्वयं पद त्याग न कर दें, उनका कार्यकाल बना रहता है।

विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होने के नाते कार्यपालिका पर विधान मण्डल का प्रभावी नियंत्रण रहता है। हमारी तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधान मण्डल की समितियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह समितियां, प्रदेश में विधान मण्डल के उद्भव के समय से ही कार्यरत हैं। सबसे पहली समिति 19 फरवरी, 1887 का जनरल क्लाजेज एक्ट की समीक्षा करने के लिये बनायी गयी थी। जब विधान मण्डल द्विसदनीय हो गया तथा वित्तीय अधिकारी विधान परिषद् से लेकर विधान सभा को दे दिये गये तो दोनों वित्तीय समितियां स्थायी वित्त समिति और लोक लेखा समिति भी विधान सभा के अधीन हो गयी। विधान परिषद् की प्रक्रिया और नियमों में सदन की स्थायी और संयुक्त समितियां गठित किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में सदन की अनेक स्थायी समितियां है।

दोनों सदनों के अलग–अलग सचिवालय हैं जिनके विभागीय अध्यक्ष प्रमुख सचिव होते हैं। यह सचिवालय सरकार के नियंत्रण से पृथक और स्वायत्तशासी हैं। दोनों सदनों के सदस्यों के उपयोग के लिये शोध, संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा सहित एक सुसज्जित और

सम्पन्न पुस्तकालय है जिसकी गणना भारत के राज्य विधान मण्डलों में सबसे समृद्ध और सबसे बड़े पुस्तकालय के रूप में की जाती है।